कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी, जनपद देहरादून।
ईमेल–cfoddn.ukfs@gmail.com मोबाईल नम्बर–9456597981, फोन नम्बर–0135–26549

दिनांक: अप्रैल 02, 20

पत्रांक: न–20 / असुव्य (224) / 2026

सेवा में,

प्रधानाचार्य / प्रबन्धक
SARSWATI VIDYA MANDIR INTER COLLEGE
BABU GARH, VIKASNAGAR
जनपद–देहरादन।

विषय **शैक्षणिक भवन में अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के सम्ब में दिये गये निर्देशों को ध्यान पूर्वक पढ़े।**

कृपया आपके आवेदन यूनिक नम्बर:–**90936440** दिनांक: **24.03.2026** जो कि **Uttarakhand Fire a Emergency Services** के वेब पेज पर प्राप्त हुआ है, के अनुसार अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्ष प्रभारी / अग्निशमन अधिकारी विकासनगर द्वारा किया गया। प्रभारी / अग्निशमन अधिकारी विकासनगर की निरीक्षण आख्‍ दिनांक **22.03.2026** के अनुसार निरीक्षण के दौरान अग्निशमन व्यवस्था **फायर एक्सटिंग्यूशर, होजरील, पानी टैंक, फायर प इत्यादि** कार्यशील दशा में पायी गयी। भवन / संस्थान एक ***शैक्षणिक भवन*** है। भवन / संस्थान में ***भूतल, प्रथम एवं द्वितीय त*** है। भवन / संस्थान में **बेसमेन्ट नहीं** है।

अतः उत्तराखण्ड शासन, गृह अनुभाग–03 की अधिसूचना संख्या–342 / XX-3/2021-2(39)/20 देहरादून दिनांक: 29 नवम्बर 2021 तथा संख्या–304272 / XX-3/2025-02(10)/2024 देहरादून दिनांक 06 जून, 2025 अनुपालन में **दिनांक: 02 अप्रैल 2026 से 01 अप्रैल 2029 (03 वर्ष) तक** के लिये प्राथमिक अग्नि उपकरणों सम्ब कार्यशीलता प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाता है, तथा निम्न शर्तो का पालन किये जाने पर ही यह वैध रहेगा।

1. **प्रश्नगत भवन / संस्थान को दिनांक दिसम्बर 14, 2022 में नवीनीकरण प्रमाण पत्र निर्गत की गई थी। अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र पूर्व में निर्मित भवन को प्रदान किये गये अग्निशमन अनापत्ति के नवीनीकरण प्रदान किया जा रहा है। यदि सम्बन्धित भवन या अधिभोग के आकार, प्रकृति, प्रयोजन या स्थान में किसी प्रक का कोई परिवर्तन किया गया है, तो अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र नये सिरे से लिया जाना अनिवार्य होगा, अन्य अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जाएगा।**
2. संस्थान की अग्निशमन व्यवस्था के कार्यशील एवं एन.बी.सी.–2016 के मानकानुसार अग्निशमन व्यवस्था पूर्ण ह का स्व–घोषण प्रमाण पत्र / Audit Report प्रति छः माह में प्रस्तुत / अपलोड / ईमेल (cfoddn.ukfs@gma com) करना अनिवार्य है।
3. संस्थान में प्रत्येक 03 माह में मॉक ड्रिल करायी जाये जिसकी सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की जा आवश्यक है।
4. प्रत्येक स्व–घोषण प्रमाण पत्र / Audit Report में संस्थान में उपलब्ध अग्निशमन व्यवस्था में बदलाव (ज मेन्टीनेंस इत्यादि) की स्थिति से इस कार्यालय को अवगत कराना अनिवार्य है।
5. सभी बाहर निकलने या बचाव के रास्ते तथा सीढ़ियां प्रत्येक दशा में अवरोध मुक्त रखी जाये।
6. आपके संस्थान के सभी कर्मचारियों को उपलब्ध अग्निशमन यन्त्रों का तथा सुरक्षित निष्क्रमण (Evacuatio प्रक्रिया का ज्ञान होना आवश्यक होगा।
7. सभी अग्निशमन यन्त्रों को कार्यशील दशा में रखने की जिम्मेदारी प्रधानाचार्य / प्रबन्धन की होगी। अग्निश यन्त्रों की स्थापना का अर्थ यह नहीं लगाया जाए कि अग्निकाण्ड की घटना नहीं हो सकती है। 3 स्वामी / प्रबन्धन को अग्निनिरोधक उपाय सदैव करते रहना चाहिए।
8. यदि भवन / संस्थान को जिस मानचित्र पर पूर्व संचालन (Pre-Operational) अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान गई थी यदि उसके दर्शाये गये सैट बैक में स्थाई व अस्थाई निमार्ण कर अग्निशमन एंव रेस्क्यू कार्य बाधित कि जाने एंव सेफ्टी मानकों में परिवर्तन किये जाने पर प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
9. भवन / संस्थान में विद्युत यन्त्रों की स्थापना, वेंटीलेशन, स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, सैट बैक एरिया व निर्माण, La Use Change में बदलाव आदि का सत्यापन सम्बन्धित अधिकारी से कराया जाए।
10. प्रधानाचार्य / प्रबन्धक को प्रश्नगत भवन में उपलब्ध न्यूनतम अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था के अतिरिक्त भवन में सु व्यवस्था हेतु फायर पम्प की क्षमता को बढ़ाकर (450 लीटर प्रति मिनट क्षमता), डाउनकमर, एमसीपी हूटर त संचालित लैब में क्लीन एजेन्ट बेस एक्सटिंग्यूसिंग सिस्टम, फोम एक्सटिंग्यूशर का प्रावधान तीन माह के भी करवाकर इस कार्यालय को अवगत कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण प्रभावी नही रहेगा और स्वतः ही अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त समझा जाएगा।

–क्रमशः 0

11. इस अनापत्ति प्रमाण पत्र का उपयोग अवैध निर्माण को नियमित करने के लिए नहीं किया जा सकता।
12. संस्थान में फायर एण्ड लाईफ सेफ्टी के दृष्टिगत फायर पम्प हाऊस की इलैक्ट्रिक सप्लाई के लिए सेपरेट्र फिडर का प्रयोग करना अनिवार्य है यदि अग्निकाण्ड की घटना घटित होने पर पम्प हाऊस को इलैक्ट्रिक की सप्लाई नहीं मिलती है तो सम्पूर्ण दायित्व प्रधानाचार्य/प्रबन्धक का होगा।
13. संस्थान में जीव रक्षा एवं राष्ट्रीय सम्पत्ति की सुरक्षा के हित में अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था को निर्धारित मानकों/एन.बी.सी 2016 के भाग 04 की गाईड लाईन के अनुसार सदैव अद्यतन (Update) स्थिति में रखे जाने की जिम्मेदारी स्वामी/प्रबन्धक की होगी।
14. इस अग्निशमन अनापत्ति की निर्गत तिथि के उपरान्त भवन में स्थापित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थों के खराब रख रखाव/प्रशिक्षण (Poor Maintenance/Training) या किसी अन्य कारण से कोई अप्रिय घटना घटित होती है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वामी/प्रबन्धक की होगी।
15. **प्रधानाचार्य/प्रबन्धक को निर्देशित किया गया कि प्रश्नगत भवन का मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत है। भवन** का उसी प्रयोजन हेतु उपयोग किया जाए, यदि **स्वीकृत** मानचित्र के अतिरिक्त भवन अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग किया जाता है तो अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रभावी नही रहेगा और स्वतः ही अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त समझा जाएगा। उक्त भवन के किसी तल में **कोई नया शैक्षणिक संस्थान संचालित किया जाता है तो उसकी जानकारी इस कार्यालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।**
16. आकस्मिक निरीक्षण के दौरान नियमानुसार व्यवस्था नहीं पायी जाती है, यदि किसी प्रकार की लापरवाही/ तकनीकी खराबी के कारण अग्नि दुघर्टना के समय अग्निशमन उपकरण कार्य नहीं करते हैं तो पूर्ण उत्तरदायित्व प्रधानाचार्य/प्रबन्धक का होगा तथा यह प्रदत्त प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।

(अभिनव त्यागी)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
देहरादून।